कार्यालय फोन : 2529157

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

संदर्भ संख्या 246/CC-98/2013 पंजीकृत

दिनांक 28/11/2013

मै0 यूनीटेक कास्केड(यूनीटेक लि0)
जी.एच.08,सेक्टर पाई 02,एलिस्टोनिया स्टेट,
ग्रेटर नोएडा

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य दिनांक 05–12–2013 के साथ संलग्न आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सर्शत सहमति आदेश पत्रांक G-1233/2013 दिनांक 28/11/2013 सलंगन हैं। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं0 1,2,6,7,8,9,10, पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा हैं।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। जल मीटर की मापी गई रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेंजे।

3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी नाच या कोई मापक यंत्र लगवायें, वीं–नाच की मापी गई सूचनाये तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय – समय पर प्रेषित करें।

4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण सयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

5. आपके उद्योग की ऑडिट की हुई वर्ष .... की बेलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनि ोजन (अचल सम्पति + वर्तमान सम्पति – वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रेषित करने की निर्देश दिये जाते हैं। जिससे की आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।

6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य हैं। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।

7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे की उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हों।

9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण कर जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखता हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 संख्या.................................. तद् दिनांक........................

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत एक) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, तृतीय तल, बी ब्लाक, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

(1)

कैम्प कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा जनपद–गौतमबुद्ध नगर

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए

वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या G-1233/2013 (सहमति/जल आदेश/ नोएडा, दिनांक 28/12/2013

विषयः.......यूनीटेक..कास्केड(यूनीटेक.लि0)जी.एच..08,सेक्टर.पाई..02,एलिस्टोनिया..स्टेट..ग्रेटर..नोएडा...........को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतू सहमति।

संदर्भ : आवदेन पत्र संख्या .....शून्य.......................... दिनांक.......05–12–2013..........

1. जल राशि या सीवर में भूमि पर वहिभाव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है कि अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में ....उपरोक्त..........को उसके परिवार से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक वहिःभाव के स्थानीय सरिता/नदी/कुऐं/ में भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक.......01–01–2014.......से.......31–12–2015.......के लिए मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संसोधित अधिनियम 1978 धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तो पर पुन/ विचार करने या संसोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

4.

संलगनक : अनुलग्नक

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा

सहमति आदेश सं0......................सहमति/ दिनांक.................का संलग्नक

सहमति शर्ते

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घन्टे में निस्तारण होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी^{3}	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी^{3}
(i) घरेलू......................	270.0 के0एल0डी0	
(ii) औद्योगिक......................	0.0 के0एल0डी0	
(अ) प्रकिया जल ब्लीड धोने से जल सहित..................................		
(ब) शीतलम जल		

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमुना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्टीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टेंक या अन्य शुद्धिकरण सयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानको के अनुरुप हो।

20° से0 पर 5 दिन की बी ओ0 डी0	30 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो।
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं0 713/37/83/1-ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरुप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका नाम उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद संसाधनों के अनुरुप होनी चाहिए।

7. विश्लेवित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संवमित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्मित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढ़के, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX 15 व साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंकरीट के चेम्बर होने चाहिए। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह मापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दू से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण विन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।

पचकी ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये / बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण बक्ष बनवाये जाये।

11. इस शर्तो का विशेष रुप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक................................या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12. बोर्ड से निर्गत सहमति की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या के साथ जरुर भेजें।

13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह से जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।

14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफ़ान के जल की भली भांति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफ़ानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, को खुले ढेर न लगाया जाये।

15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव कि लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती तूफ़ानी जल के द्वारा बहा न दिया जाये।

(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।

(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाय।

16. विषैले पदार्थो का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाय अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाये। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।

17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और या उपरोक्त पैरा 3 व 4 वर्णित मानकों का उल्लघंन हो तो बोर्ड को टेलीफोनिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाय।

18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख–रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफ़ानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी की टर्मिनल, मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जायें। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाये।

21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें। और/या इस सहमति आदेश की शर्तो का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदलें या परिवर्तन न करें।

23. उपरोक्त शर्ते जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।

24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से का 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दू के चालू होने और / या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।

25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य करायें।

27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म तक उत्प्रवाह से जाने वाली चैनल, सीवर ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोधिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।

28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारी) प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।

29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखनी हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी